न्यायालय :– अपर जिला न्यायाधीश, फागी, जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति सिंहमार,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी विविध अपील संख्या :– 20/2023(05/2020)
सी.आई.एस. संख्या :– 05/2020

01. नानगीदेवी पत्नी खेमचन्द बैरवा **(नाम हजफ आदेशिका दिनांक 16.02.2024)**
02. भारत दत्तक पुत्र खेमचंद बैरवा
निवासीगण ग्राम नारीखेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर(राज0)

...अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र भूरा बैरवा, निवासी ग्राम नारीखेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर(राज0)**(नाम हजफ आदेशिका दिनांक 17.09.2021)**
2. कमलेश कुमारी पुत्री खेमचन्द,पत्नी मनोहरलाल बैरवा, निवासी 160/34, सेक्टर नं0 16, प्रताप नगर, सांगानेर,जयपुर।

...रेस्पोडेंट/प्रत्यर्थीगण

दीवानी विविध अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी विरुद्ध आदेश दिनांक 05.08.2020, जो श्री अजय कुमार शर्मा, आरजेएस न्यायालय सिविल न्यायाधीश, फागी द्वारा दीवानी मुत्तफर्रिक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 32/2020, सीआईएस संख्या 32/2020, उनवानी नानगी देवी व अन्य बनाम खेमचन्द व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक 04.08.2026**

1- यह दीवानी विविध अपील अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, फागी (जिसे आगे विचारण न्यायालय से सम्बोधित किया जाएगा) द्वारा दीवानी मुत्तफर्रिक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 32/2020, सीआईएस संख्या 32/2020, उनवानी नानगी देवी व अन्य बनाम खेमचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांक **05.08.2020** के विरुद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, दूदू में पेश किया गया, जो कालांतर में इस नवसृजित न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दीवानी दावा बाबत स्थायी

निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व दीवानी दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द प्रार्थिया संख्या–1 नानगीदेवी का पति व अप्रार्थी संख्या–2 कमलेश कुमारी प्रार्थिया संख्या–1 की पुत्री है तथा प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द व प्रार्थिया संख्या–1 नानगीदेवी का दत्तक पुत्र है। समस्त पक्षकारान् की संयुक्त कब्जे–काश्त की पैतृक भूमि खाता संख्या 4 के खसरा नम्बर 327/283, खाता संख्या–5 के खसरा नम्बर 313/2, खाता संख्या 78 के खसरा नं0 311/2, 312 की भूमि वाके ग्राम नारीखेडा, पटवार हलका डालनिया, तहसील फागी में स्थित है और उक्त समस्त भूमि अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द को उसके पिता भूरा से विरासतन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपने नाम दर्ज अन्य भूमि को प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दी गयी एवं विक्रय पत्र में अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द द्वारा प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा को अपना गोद पुत्र होना स्वीकार किया है। इस दौरान् अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का मन–मुटाव होने पर अप्रार्थी संख्या–2 कमलेश कुमारी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द को बहका–फुसला कर एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द के मानसिक रोगी होने का फायदा उठाते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आराजीयात् दिनांक 20.03.2020 को जरिये उपहार पत्र अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवा लिया गया। चूंकि उक्त समस्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जिसे उपहार करने का अप्रार्थी संख्या–1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 को बहकावे में लेकर प्रार्थीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित किया गया है जबकि मौके पर प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात् पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को जब उक्त उपहार पत्र की जानकारी हुई तो अपने हिस्से की घोषणा व नामान्तकरण की कार्यवाही बाबत रेवन्यू कोर्ट में दावा पेश किया और इस दौरान् बहकावे से कराये गये उपहार पत्र दिनांक 20.03.2020 के बाबत प्रार्थीगण की ओर से पुलिस थाना फागी पर प्राथमिकी भी दर्ज करवायी गई जो जेरे तफ्तीश में है। प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हुआ कि वह अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पूर्ण बहकावें में लेकर धोखे व छल कपट से करवाए गए उपहार पत्र निरस्त कराये जाने बाबत वाद प्रस्तुत करें, इसलिये वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में अपने हक में उपहार पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवा लिया और अपने नाम खातेदारी दर्ज करा कर यदि प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करा देंगे तो प्रार्थीगण को असहनीय हानि होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति की संभावना विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, ताकि मूल वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 6 में वर्णित उपहार पत्र दिनांक 20.03.2020 के

आधार पर अपने हक में नामान्तकरण नहीं खुलवाए तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

3- उक्त प्रार्थना पत्र का संयुक्त जवाब प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द द्वारा प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा को कभी गोद नहीं लिया गया और पूर्व में प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा के पक्ष में अन्य भूमि के किये गये विक्रय पत्र में जबरन प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा द्वारा अपने पिता के नाम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द का नाम दर्ज करवा लिया गया जबकि प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा न तो कभी गोद लिया गया और न ही कभी रस्म अदायगी की गयी। प्रार्थी संख्या–2 भारत बैरवा प्रार्थिया नानगीदेवी की बहन का लड़का है जिसका पालन–पोषण व शिक्षा–दीक्षा अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द द्वारा की गयी। अप्रार्थी संख्या–1 स्वस्थचित व्यक्ति है एवं उपहार पत्र में दी गयी भूमि के सम्बन्ध में विधिनुसार कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करते हुए पंजीयन कराया गया है। चूंकि उक्त समस्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द की स्वअर्जित सम्पत्ति है जो कि अपने पिता से विरासतन प्राप्त न कर नामांतकरण से दिनांक 24.07.1960 व 10.06.1962 को नामांतकरण संख्या–7 व 29 द्वारा प्राप्त की गयी है और ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अप्रार्थी अंतरण हेतु सक्षम है। विवादित आराजी चूंकि अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द की स्वअर्जित आराजी है जिसमें पिता के जीवित रहते हुए दत्तक पुत्र व पत्नी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतिरिक्त कथनों के तौर पर भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए विवादित आराजी मुख्य रूप से स्वयं की स्वअर्जित आराजी अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा बतायी जाकर विधिनुसार उपहार पत्र दिनांक 20.03.2020 उप–पंजीयक, फागी के समक्ष पंजीबद्ध कराया जाना एवं प्रार्थी पक्ष को उक्त उपहार पत्र को चुनौती दिये जाने का कोई अधिकार नहीं होना बताया। ऐसे में प्रार्थी पक्ष का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

4- तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने आलौच्य आदेश दिनांकित 05.08.2020 द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा, विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण तद्नुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाने का आदेश दिया।

5- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलौच्य आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं दस्तावेजात व विधि के स्थापित सिद्धांतों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार

के सदस्य होकर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमि है, जिसके बाबत विचारण न्यायालय ने नामांतकरण संख्या 7 का अवलोकन नहीं कर जिस प्रकार से स्वअर्जित भूमि होना माना है तथा उपहार पत्र के संबंध में अपना मत व्यक्त प्रकट किया है वह मूल बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के बाद तय होना था, जिस बाबत विवादित भूमि के बाबत पक्षकारान के मध्य आगे विवाद नहीं हो सके और रिकार्ड में फेरबदल होकर किसी तीसरे पक्षकार को हंस्तान्तरण नहीं किया जा सकें इस बाबत रिकार्ड की यथास्थिति होना आवश्यक था। जिस पर विचारण न्यायालय ने विधिनुसार विचार नहीं कर अपीलार्थी/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 05.08.2020 अपास्त किया जाएं।

6- बहस अपील उभयपक्ष सुनी गई।

7- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने जो आलौच्य आदेश पारित किया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अप्रार्थी खेमचंद को अपना पिता होना व उसके द्वारा अपनी एक पुत्री अप्रार्थी संख्या 2 के हक में निष्पादित पंजीबद्ध उपहार पत्र को निरस्त करवाना चाहा है। सर्वप्रथम प्रार्थी, अप्रार्थी खेमचंद का दत्तक पुत्र हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अप्रार्थी खेमचंद ने स्वयं अपने जवाब में प्रार्थी को गोद लेने से इंकार किया है, जिससे प्रार्थी को वाद लाने का कोई अधिकार (Locus Standi) नहीं है। द्वितीय प्रार्थी ने खेमचंद की अन्य पुत्री स्वर्गीय शांति के वारिसान को खेमचंद के वारिस होना जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र में अंकित किया है किन्तु वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी खेमचंद का मानसिक रोगी होना व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बहकावे में लेकर छल कपट से उपहार पत्र निष्पादित करवाना बताया है, किन्तु स्वयं अप्रार्थी खेमचंद ने अपने जवाब में स्वयं का स्वस्थचित्त होना व किसी के बहकावे में नहीं होना स्पष्ट अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 की जायंदा पुत्री है, जो उनकी संपत्ति की प्राकृतिक तौर पर वारिस है। चुंकि अप्रार्थिया विवादित भूमि की पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र से भी वास्तविक स्वामी है। ऐसे में भूमि के वास्तविक स्वामी (True Owner) को प्रार्थी कैसे पाबंद करवा सकता है। प्रार्थी ने विवादित भूमि को पैतृक संपत्ति होना बताया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जबकि अप्रार्थी

पक्ष द्वारा विवादित भूमि के नामांतकरण दस्तावेज प्रस्तुत किए है उनसे स्पष्ट है कि विवादित भूमि अप्रार्थी खेमचंद की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्या विधिक त्रुटि है यह प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अस्वीकार कर सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9- उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिन्दु है किः–

अवधार्य बिन्दुः–

आया विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आए तथ्यों का विधिसम्मत, सम्यक विवेचन किए बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2020 पारित किया गया है?

10- उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में मुख्यतः यह तर्क लिए है कि प्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है तथा उपहार पत्र में अंकित विवादित भूमि उभय पक्षकारान् की शामलाती आराजी होकर अप्रार्थी संख्या–1 खेमचन्द को उसके पिता भूरा से जरिये विरासतन प्राप्त आराजी है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा एवं अधिकार है। इसके विपरीत अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस तथ्य से बिल्कुल इन्कार किया गया कि उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति हो, अपितु इसे खेमचंद की स्वअर्जित सम्पत्ति होना बताया है।

11- न्यायालय के विनम्र मतानुसार अपीलार्थी/प्रार्थी पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए प्रथम दृष्टया मामला साबित करना आवश्यक है। सर्वप्रथम प्रार्थी भारत अप्रार्थी खेमचंद का गोद पुत्र हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2020 के अवलोकन से खेमचंद की अन्य पुत्री स्वर्गीय शांति देवी के वारिसान खेमचंद के विधिवत वारिस होना दर्शित होते है, जिन्हें प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने एक ओर तो अप्रार्थी खेमचंद का मानसिक रूप से बिमार होना कथन किया है, वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 2 कमलेश द्वारा अपने पिता खेमचंद को बहकावे में लेकर उपहार पत्र निष्पादित करवा लेना कथन किया है। सर्वप्रथम यदि खेमचंद मानसिक रूप से बिमार है तो मानसिक रोगी को बहका लेना स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय खेमचंद द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में स्वयं का स्वस्थ चित्त होना कथन किया गया है। विवादित सम्पति पैतृक होने के सम्बन्ध में भी प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है।

12- विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2020 में प्रार्थी पक्ष का प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनना पाए जाने के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि ''अपीलार्थी/प्रार्थी पक्ष की ओर से संयुक्त परिवार के संबंध

में कोई सजरा खानदान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी को पैतृक आराजी होने का कथन किया गया है। किन्तु विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 खेमचन्द को अपने पिता भूरा से प्राप्त हुई हो इस बाबत कोई राजस्व अभिलेख या नामान्तकरण का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी पक्ष की ओर से दस्तावेज नामांतकरण संख्या 7 व 29 प्रस्तुत किए गए है।''

13- न्यायालय के विनम्रमतानुसार उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित रूप से अवलोकन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2020 पारित कर प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं हुआ है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2020 पुष्ट किये जाने योग्य है।

14- इस प्रकार उपरोक्त किए गए विवेचनानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2020 विधि व तथ्यों के अनुरूप होना दर्शित होता है। लिहाजा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य दर्शित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

15- परिणामतः अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण/ अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय **सिविल न्यायाधीश, फागी** द्वारा दीवानी मुत्तफर्रिक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र संख्या 32/2020, सीआईएस संख्या 32/2020, उनवानी नानगी देवी व अन्य बनाम खेमचन्द व अन्य में पारित आदेश दिनांकित **05.08.2020** की पुष्टि की जाती है।

16- आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय को पत्रावली अविलम्ब प्रेषित हो।

(कीर्ति सिंहमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
फागी, जिला–जयपुर

17- यह आदेश आज दिनांक **04.08.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कीर्ति सिंहमार)
अपर जिला न्यायाधीश,
फागी, जिला–जयपुर